न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।
जी0आर0नं0:–553 / 2021
दाउदनगर थाना कांड संख्या :–331 / 2021

22.10.2021 आवेदक ट्रैक्टर निवंधन संख्या–BR26GA5314 एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB4648 के स्वामी रमेश यादव के द्वारा ई–फायलिंग के तहत दिनांक–18.09.2021 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु उसी आशय का एक अन्य आवेदन दाखिल किया गया । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक–18.09.2021 को दाखिल आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GA5314 एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB4648 दाउदनगर थाना द्वारा दिया जप्त किया गया है। उक्त वाहन का स्वामी आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GA5314 एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB4648 दाउदनगर थाना द्वारा बालू चोरी के आरोप में जप्त किया गया है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्बन्धित थाना द्वारा यह दर्शित किया गया है कि " उक्त वाहन स्वामी द्वारा जिला परिवहन कार्यालय में शमन राशि जमा नही की गई है"। जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के पत्रांक–1314 / ख0 दिनांक–23.09.2021 के प्रतिवेदन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में अर्थदण्ड की राशि मो0–15215 / –रूपया जमा किया है । उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक–998 / परि0 दिनांक–01.10.2021 के तहत समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त वाहन का स्वामी का नाम रमेश यादव, ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GA5314, इंजन सं0–E3451267, चेसिस सं0–T053401454EG एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB4648, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–NRP125/21 अंकित है तथा शमन राशि जमा करने से संबंधित कोई तथ्य का जिक्र नही है। उक्त वाहन के स्वामी रमेश यादव की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं बीमा की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर की कमशः दुरूस्ती दिनांक–15.02.2023 एवं 23.08.2023 तक, अद्यतन कर भुगतान एकमुश्त की गई है, जबकि वाहन दिनांकः–20.10.2022 की मध्य रात्रि तक बीमित है । उक्त वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत है लेकिन आवेदक के द्वारा परमिट की प्रति दाखिल नही किया गया है । आवेदक को मूल प्रति मिलान के उपरांत वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक रमेश यादव के पक्ष में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–BR26GA5314, इंजन सं0–E3451267, चेसिस सं0–T053401454EG एवं टेलर निवंधन संख्या–BR26GB4648, इंजन सं0–00000, चेसिस सं0–NRP125/21 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक रमेश यादव के पक्ष में उक्त ट्रैक्टर निबंधन

लगातार

लगातार
22.10.2021

संख्या–BR26GA5314 एवं टेलर निवंधन संख्या– BR26GB4648 को मो0–7,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, तंदुरूस्ती एवं बीमा की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करेगा । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त ट्रैक्टर एवं टेलर के मुक्ति के एक माह के अंदर उक्त वाहन का परमिट की अद्यतन प्रति की छायाप्रति की सत्यापति प्रति दाखिल करेगा । उक्त वाद के निष्पादन तक उक्त वाहन के रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा ।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा बनाते हुए मुक्त करें ।

उ0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।